



विधेयक संख्या


००२



जन्तेदुङ्गा गाउँपालिका आर्थिक ऐन, २०८०

| | |
|------------------------------------|------------|
| सभाबाट स्वीकृती मिति :- | २०८०/०३/१७ |
| प्रमाणिकरण मिति :- | २०८०/०३/१७ |
| स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मिति :- | |

गाउँ सभाले पारित गरे बमोजिम यो विधेयक (संख्या ५, जम्मा पृष्ठ संख्या १६) ठिक छ भनि प्रमाणिकरणका लागि सभाध्यक्ष समक्ष पेस गर्दछु।


उमेश गिरी

गाउँसभा सचिव

मिति : २०८०/०३/१७



जन्तेदुड्ङा गाउँपालिकाको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना: जन्तेदुड्ङा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२८ को उपधारा (२) तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ९ दफा ५४ मा भएको व्यवस्था र कोशी प्रदेश कानून बमोजिम जन्तेदुड्ङा गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट पारित गरी आर्थिक ऐन बनाईएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “जन्तेदुड्ङा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०” रहेको छ।
(२) यो ऐन २०८० साल श्रावण १ गतेदेखि जन्तेदुड्ङा गाउँपालिका क्षेत्र खोटाङ्मा लागू हुनेछ।
२. **सम्पत्ति (घर जग्गा) वहाल कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, ठहरा, छाप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तबरले वहालमा दिएकोमा अनुसूची -१ बमोजिम घर जग्गा वहाल कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
३. **व्यवसाय कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवाको दर्ता र नविकरण गर्न अनुसूची -२ बमोजिम कर लगाई असूल उपर गरिनेछ। एउटै पसल, फर्म वा कम्पनीले अनुसूचीमा उल्लिखित विवरण अनुसार एक भन्दा बढी किसिमका वस्तु तथा सेवाको व्यवसाय गरेको भएमा अधिकतम दर भएको व्यवसायको व्यवसाय कर असूल उपर गरिनेछ।
४. **जडिबुटी तथा कबाडी कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले जडिबुटीको व्यवसायिक कारोवार/गरेवापत् अनुसूची -३ बमोजिमको जडिबुटी तथा कबाडी कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
५. **विज्ञापन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची -४ बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सोहि कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको हकमा सोही बमोजिम हुनेछ।
६. **मनोरञ्जन कर:** कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ
७. **सेवा शुल्क र दस्तुर:** गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची -५ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराएको अन्य सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम कर, शुल्क वा दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
८. **पर्यटन शुल्क:** उद्यम, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, संग्रहालय जस्ता सम्पदाको उपयोग वापत अनुसूची -६ र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० मा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
९. **भूमि कर (मालपोत):** गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बापत अनुसूची -७ बमोजिमको भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।



१०. दहत्तर बहत्तर कर: दुड्गा, गिट्टी, वालुवा, स्लेट, चुनदुड्गा, खरी दुड्गा, अभ्रव र दहत्तर बहत्तरमा प्राकृतिक स्रोतको करको दर र प्रकृया स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ क वा कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम हुनेछ ।
११. जरिवाना: गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र निषेध गरिएको सार्वजनिक क्षेत्र वा व्यापार व्यवसाय वा फोहोर मैला व्यवस्थापन, विवाद, झैझगडा, द्रन्द्व बापत तथा यस ऐन र अन्य प्रचलित कानून विपरितका कार्य गर्नेलाई अनुसूची -C बमोजिमको जरिवाना गरी अमूल उपर गरिनेछ ।
१२. सामुदायिक वनबाट आय: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२क बमोजिम हुनेछ ।
१३. घर जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क: कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम हुनेछ ।
१४. सवारी साधन कर: कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० बमोजिम हुनेछ र टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र इ-रिक्साको सवारी कर लगाईने र अमूल उपर गरिनेछ ।
१५. कर छुट: यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन । तर तीन भन्दा बढी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई अधिकतम तीन वटा व्यवसायमध्ये उच्चतम दरको कर लिई बाँकी व्यवसायको कर मिनाहा गरिनेछ ।
१६. कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि: यो ऐनमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यस ऐन सँग नबाझिने गरी कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधि गाउँ कार्यपालिकाले आवश्यक नियम, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने छ ।
१७. अन्य व्यवस्था: यस गाउँपालिकाका विषयगत शाखा वँडा तथा अन्य कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवानालाई सेवा सँग आवद्ध गरी अनिवार्य अमूल उपर गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । तर नागरिकताको सिफारिस तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्दा प्रतिवद्धता पत्र लिई सेवा प्रवाह गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।
१८. यस ऐनमा व्यवस्था भएकोमा यसै ऐन बमोजिम रं गाउँपालिकाको अन्य ऐनमा तोकिएको भएमा सोहिए ऐन बमोजिम हुनेछ ।
१९. ऐनको व्याख्या तथा खारेजी :
- (१) यस ऐनमा उल्लेख नभएका विषयको हकमा गाउँ कार्यपालिकाले करको दर व्याख्या गर्न सक्नेछ ।
 - (२) गाउँपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरु संघीय तथा प्रदेश कानून तथा अन्य ऐनसँग प्रतिकूल देखिएमा प्रतिकूल भएको हदसम्म खारेज हुनेछ ।

अनुसूची - १

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

| क्र.सं. | विवरण | दररेट | कैफियत |
|---------|---|-------|--------|
| १. | कुनै पनि निजी व्यक्तिलाई घरधनीले गाउँपालिकालाई घर, पसल, रयारेज, जग्गा, गोदाम, ठहरा भाडामा दिएमा | १०% | |



सम्झौता रकमको, कुनै पनि सार्वजनिक संस्था/सरकारी
कार्यालय/ निजी बैंक/सहकारी आदिलाई घर, कोठा बहालमा
दिएमा सम्झौता रकमको, रोयल्टी र लीजमा

| | | |
|----|---|---|
| | | |
| | <p>एम्बुलेन्स भाडा दर देहाय बमोजिम हुने छ।</p> <p>गर्भवती, सुल्केरी महिला विरामिहरुको लागि निःशुल्क दलित ७० वर्ष र अन्य ८० वर्ष भन्दा माथिका वृद्ध वृद्धाहरुकोलागि ५० प्रतिशत छुट। अति विपन्न र असायहरुको अवस्थाहेरी रकम छुटको व्यवस्था गरिने छ।</p> <p>सुविधा प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक प्रमाण पेश गर्नु पर्ने छ।</p> | <p>१. चिसापानी-बंशिला रु. ६०००।- २. डम्खर्खु वडा कार्यालय र भज्याङ्ग खर्क, कुईभिर, कात्तिके, चुम्लुङ्ग- चिसापानी रु. ३०००।- ३. सामाताङ्ग होस्पिका सेलेवा-चिसापानी रु. ३५००।- ४. २ नं. वडा बोपुङ्ग-चिसापानी रु. ४०००।- ५. बोपुङ्ग मैनाटार- बंशिला रु. ८०००।- ६. १ नं. वडा बुवाखोला वारी-चिसापानी रु. ३०००।- ७. १ नं. वडा बुवाखोला पारी-चिसापानी रु. ५०००।- ८. १ नं. वडाका सबै भुभाग- बंशिला रु. ६०००।- ९. बंशिला देखि १ नं. वडा बुवाखोला पारी रु. ३०००।- १०. ३ नं. वडा कार्यालय काहुले- चिसापानी रु. २५००।- ११. सालम्बु - चिसापानी रु. २५००।- १२. आरुवोटे, छिमावा- चिसापानी रु. २०००।- १३. ६ नं. वडा कार्यालय, निगाल वास रु. १५००।- १४. ६ नं. वडाका अन्यत्र स्थानवाट-चिसापानी रु. २५००।- १५. ६ नं. वडाका सबै स्थान वाट-बंशिला रु. ६०००।- १६. ५ नं. वडा खुटा बगैचा, बैरिनटार, डाँडा खर्क, वितलव, घोर्ले, छेतुवा, पाथिभरा -चिसापानी रु. २५००।- १७. ५ नं. वडाका वाँकी क्षेत्र र होमापोखरी-चिसापानी रु. १५००।- १८. अन्यत्रवाट चिसापानीआई -बंशिला जानु परेमा रु. ६०००।- १९. चिसापानी -थामखर्क बिमानस्थल रु. ५०००।- २०. चिसापानी -रसुवा रु. ७०००।- २१. चिसापानी -गाईघाट रु. १२०००।- २२. चिसापानी -ईटहरी रु. १६०००।- २३. चिसापानी -धरान रु. १५०००।- २४. चिसापानी -विराटनगर रु. १७०००।- २५. चिसापानी - काठमाण्डौ रु. ३५०००।-</p> |
| ३. | <p>गाउँ पालिकाको व्याक हो लोडरको JCB भाडा दर देहाय बमोजिम हुने छ</p> | <p>१. सम्पुर्ण खर्च पालिकाद्वारा व्यहोरिने प्रति घण्टा रु. ३४००/- २. मेशिन मात्रको प्रति घण्टा रु. १४००/-</p> |

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वार्षिक रूपमा लगाउने सम्पत्ति (घरजग्गा) बहाल करको दर

अनुसूची - २

(दफा ३ सँग सम्बन्धित)

~ ३ ~

अल्पांगी दब्ली राई
अध्यक्ष



गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउने व्यवसाय दर्ता/नविकरण करको दर

| क्र.सं. | विवरण | दर्ता/अनुमति | नवीकरण | कैफियत |
|---------|--|--------------|---------|--------|
| १. | साधारण प्रकृतिको होटल, चिया नास्ता पसल | ५००।- | २५०।- | |
| २. | लजिङ, फुडिङ सहितको होटल, गेष्ट हाउस, रेष्टरेन्ट | २०००।- | १०००।- | |
| ३. | तालिम हल, एट्याच ट्वाइलेट बाथरूम, वाईफाई सहितको होटल | ३०००।- | १५००।- | |
| ४. | फोटो स्टुडियो (फोटो खिच्ने, धुलाउने, फोटोकपी, फ्याक्स) | ५००।- | २५०।- | |
| ५. | सवारी साधन विक्रेता | २००००।- | १००००।- | |
| ६. | सवारी साधन/मर्मत/ग्यारेज/ग्रिल | २००।- | १००।- | |
| ७. | कपडा/जुता/चप्पल पसल, | २००।- | १००।- | |
| ८. | नर्सरी (फलफूल, कृषिजन्य बोटबिरुवा उत्पादन विक्रीवितरण), | ५००।- | २५०।- | |
| ९. | मेडिकल/एग्रोभेट(खुद्रा डाक्टर भएको) | २००।- | १००।- | |
| १०. | मेडिकल/एग्रोभेट (खुद्रा) | १००।- | ५०।- | |
| ११. | मेडिकल/एग्रोभेट (थोक) | १००००।- | ५०००।- | |
| १२. | खाद्य पदार्थ (दाल, चामल, चिनी, तरकारी लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु)/ सम्बन्धी पसल(थोक) | ३००।- | १५०।- | |
| १३. | खाद्य पदार्थ (दाल, चामल, चिनी, तरकारी लगायत अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु)/ सम्बन्धी पसल(खुद्रा) | ५०।- | २५।- | |
| १४. | अलैचि/अदुवा/सतुवा/जटामसि/बनजन्य तथा जडीबुटी कारोबार गरे वापत थप व्यवसाय निकासा आन्तरिक व्यवसाय | २५०।- | १५०।- | |
| १५. | अलैचि/अदुवा/सतुवा/जटामसि/बनजन्य तथा जडीबुटी निकासी आन्तरिक व्यवसाय | ५०।- | २५।- | |
| १६. | हार्डवेयर व्यवसाय | ३००।- | १५०।- | |



| | | | | |
|-----|--|---------|---------|--|
| १७. | भाँडाकुँडा पसल | २०००।- | १०००।- | |
| १८. | फर्निचर/स मिल व्यवसाय | ३०००।- | १५००।- | |
| १९. | इन्थन व्यवसाय | ३०००।- | १५००।- | |
| २०. | कस्मेटिक पसल, व्युटी पार्लर | १०००।- | ५००।- | |
| २१. | अल्कोहलजन्य/धुम्रपानजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने पसल (PAN/ VAT दर्तावाला) (थोक) | ५०००।- | ३०००।- | |
| २२. | अल्कोहलजन्य/धुम्रपानजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्ने पसल (PAN/ VAT दर्तावाला) (खुद्रा) | ३०००।- | १५००।- | |
| २३. | अल्कोहलजन्य/धुम्रपानजन्य पदार्थ समेत बिक्रीवितरण गर्ने होटल | ३०००।- | १५००।- | |
| २४. | सुनचाँदी पसल | ३०००।- | १५००।- | |
| २५. | मनी एक्सचेन्जर (IME लगायत) | ३०००।- | १५००।- | |
| २६. | बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारगर्ने संस्था | १००००।- | ५०००।- | |
| २७. | एफ.एम.रेडियो | १००००।- | ५०००।- | |
| २८. | ट्राभल्स एण्ड ट्रुस्ट, ट्रेकिङ एजेन्सी | ५०००।- | २०००।- | |
| २९. | कायाकिङ, क्यानोनिङ, बञ्जी जम्प, जिप फ्लायर, यांफिङ, पाराग्लाइडिङ | १००००।- | ५०००।- | |
| ३०. | केबलकार | ५००००।- | १५०००।- | |
| ३१. | फ्रेस हाउस | १०००।- | ५००।- | |
| ३२. | स्टेशनरी | १०००।- | ५००।- | |
| ३३. | ईलेक्ट्रोनिक्स पसल(मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप, विजुलीका सामानहरु लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु) | ३०००।- | १५००।- | |
| ३४. | टेलर, सैलुन | ५००।- | २००।- | |
| ३५. | घ: वर्गको निर्माण व्यवसाय दर्ता/नविकरण | १००००।- | ५०००।- | |
| ३६. | लघु घरेलु र साना उद्योग दर्ता | ५००।- | २५०।- | |
| ३७. | बोर्डिङ स्कुल आ.वि. | ५०००।- | २५००।- | |

~५~

मुख्य देवी राई
अध्यक्ष



| | | | |
|-----|---------------------------------|---------|---------|
| ३८. | बोर्डिङ स्कुल मा.वि. | ७०००१- | ३५००१- |
| ३९. | दुवानी तथा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय | ५०००१- | २५००१- |
| ४०. | ट्रियाक्टर व्यवसाय | ५०००१- | २५००१- |
| ४१. | तीन पांगे | १०००१- | ५००१- |
| ४२. | चार पांगे | ५०००१- | २५००१- |
| ४३. | कुटानी पिसानी(सानो) | ५००१- | २५०१- |
| ४४. | कुटानी पिसानी(ठुलो) | ३०००१- | १५००१- |
| ४५. | ठुलो स्कामेटर | ३००००१- | १५०००१- |
| ४६. | सानो स्कामेटर | २००००१- | १००००१- |
| ४७. | अन्य व्यवसाय | ५००१- | २५०१- |
| ४८. | साईबर | १०००१- | ५००१- |
| ४९. | कृषक समुह दर्ता | १०००१- | ५००१- |
| ५०. | कृषि व्यवसाय दर्ता | ५००१- | २००१- |
| ५१. | खानेपानी संस्था दर्ता | १०००१- | ५००१- |
| ५२. | सामुदायीक वन दर्ता | ५००१- | ३००१- |
| ५३. | कृषि/पशु पंक्षी र मत्स्य फर्म | १०००१- | ५००१- |
| ५४. | ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था | ३०००१- | १०००१- |
| ५५. | बहुउद्देश्य सहकारी संस्था | २०००१- | १०००१- |
| ५६. | बचत तथा रिण सहकारी | २०००१- | १०००१- |
| ५७. | कृषि सहकारी संस्था | १०००१- | ५००१- |
| ५८. | संचार सहकारी संस्था | २०००१- | १०००१- |
| ५९. | तालिमा प्रदायक संस्था | २०००१- | १०००१- |
| ६०. | घरेलु उधोग | २०००१- | १०००१- |
| ६१. | साना उधोग | १०००१- | ५००१- |



| | | | | |
|-----|---------------------------|--------|--------|--|
| ६२. | जलउपभोक्ता संस्था | १०००१- | ५००१- | |
| ६३. | टोल विकास संस्था | ५००१- | २००१- | |
| ६४. | संस्था दर्ता गैर नाफामुलक | १०००१- | ५००१- | |
| ६५. | संस्था दर्ता नाफामुलक | २०००१- | १०००१- | |
| ६६. | अन्तर्राष्ट्रिय गैसस | ५०००१- | २०००१- | |

अनुसूची - ३

(दफा ४ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाइने जडिबुटी, जीवजन्तु तथा कबाडी कर

(क) कवाडी

| क्र.सं. | कवाडी | दररेट रु. (प्रति केजी) | कैफियत |
|---------|-------|------------------------|--------|
| १. | कवाडी | १.०० | |

(ख) जीवजन्तु/सबै प्रकारको माछा कर

| क्र.सं. | जीवजन्तु/सबै प्रकारको माछा कर | दर्ता | नविकरण | कैफियत |
|---------|-------------------------------|--------|--------|--------|
| १. | माछा कर | २५००१- | १०००१- | |

(ग) जडिबुटि कर

| क्र.सं. | जडिबुटि कर | बार्षिक दर | कैफियत |
|---------|-----------------|------------|--------|
| १. | चिरेइतो, सतुवा, | ५००१- | |

(घ) हाटबजार कर

| क्र.सं. | हाटबजार कर | बार्षिक दर | कैफियत |
|---------|-----------------------------|------------|--------|
| १. | विसापानी हाटबजार कर न्यूनतम | ४०,०००१- | |

खाली

अरुणा देवी राई
अध्यक्ष



अनुसूची - ४

(दफा ५ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र लगाउने विज्ञापन करको दररेटः

क) प्रदेश कानुनको अधिनमा रहि देहायं अनुसार विज्ञापन कर निम्नानुसार तोकिएको छः

- १) भवनको छत र कौशीमा परिचय पाटी वा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइनेछैन ।
- २) भवनमा भ्रयाल छोपेर परिचय पाटी वा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइनेछैन ।
- ३) बाटोको सीमानादेखि दश फिट भित्र तथा संधियारको सिमानादेखि पाँच फिट भित्र र सार्वजनिक स्थान वा संस्थान वा कार्यालय वा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने स्थानमा विज्ञापन सामग्री राख्न पाइनेछैन ।
- ४) भवन, जमिन, व्यापारिक वा व्यवसायिक केन्द्र, होटल वा रेष्टरेण्ट वा विद्यालय वा सिनेमा हल वा पेट्रोल पम्प वा जुनसुकै भवनको भित्री भागमा विज्ञापन कर छुट हुने छैन ।

ख) विज्ञापन करको दरः

- १) फ्लेक्सबाट तयार गरिएको विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति वर्ष वर्ग फुट रु.१००,-
- २) होर्डिङ बोर्ड, नियोन साईन यस्तै विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति वर्ष वर्ग फुट रु.३००-
- ३) डिजिटल बोर्ड, ग्लो साइन बोर्डमा गरिने विज्ञापन प्रचार सामग्रीको प्रति वर्ष वर्ग फुट रु.२००,-
- ४) खेलकुद मैदान, मेला, जात्रा, पर्व र यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रममा हुने विज्ञापन प्रचार सामग्रीको अधिकतम १५ दिन र २० स्वार फुटकालागि प्रति दिन रु.५००,-
- ५) अन्यको हकमा प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष रु.१०००,-

अनुसूची - ५

(दफा ७ सँग सम्बन्धित)

गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको सेवाबाट निम्नानुसारको सेवा शुल्क र दस्तुर लगाउने र असुल उपर गर्नेछ ।

| क्र.सं. | विवरण | आ.व. २०८०/८१ | कैफियत |
|---------|---|-----------------|--------|
| १. | व्यक्तिगत घटना दर्ता/सिफारिस ३५ दिनभित्र | नि:शुल्क | |
| २. | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन पछि विवाह दर्ता बाहेक | २००।- | |
| ३. | व्यक्तिगत घटना दर्ता र विवाह दर्ता ३५ दिन पछि | ५००।- | |
| ४. | व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन पछि प्रतिलिपि | ३००।- | |
| ५. | सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणित | ५००।- | |
| ६. | अस्थायी बसोबास सिफारिस | २००।- | |
| ७. | स्थायी बसोबास सिफारिस | ५००।- | |
| ८. | नाता प्रमाणित सिफारिस | २००।- | |

~ ८ ~

अरुणा देवी राई
अध्यक्ष



| | | | |
|-----|--|--------|---|
| १. | संरक्षक सिफारिस (व्यक्तिगत) | १००।- | |
| २. | संरक्षक सिफारिस(संस्थागत) | २००।- | |
| ३. | जीवित रहेको सिफारिस | १००।- | |
| ४. | जन्म मिति संशोधन सिफारिस | २००।- | |
| ५. | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणितसिफारिस | १००।- | |
| ६. | जन्म मिति प्रमाणित | २००।- | |
| ७. | विवाह प्रमाणित | २००।- | |
| ८. | अविवाहित प्रमाणित | २००।- | |
| ९. | मृत्यु प्रमाणित | १००।- | |
| १०. | सम्बन्ध भएको/ नभएको प्रमाणित | २००।- | |
| ११. | बहुउदेश्य सहकारी संस्था सिफारिस | २००।- | |
| १२. | बचत तथा क्रष्ण सहकारी सिफारिस | २००।- | |
| १३. | कृषि सहकारी संस्था सिफारिस | २००।- | |
| १४. | संचार सहकारी सिफारिस | २००।- | |
| १५. | तालिम प्रदायक संस्था सिफारिस | २००।- | |
| १६. | स्काभेटर मेशिन प्रतिपटक | ५०००।- | यस गाउँ पालिकामा दर्ता नविकरण नभएको । |
| १७. | ब्याक हो लोडर मेशिन प्रतिपटक | ३०००।- | यस गाउँ पालिकामा दर्ता नविकरण नभएको । |
| १८. | घेरेलु उधोग सिफारिस | २००।- | |
| १९. | वालुवा, प्रति ट्याक्टर | ३००।- | |
| २०. | मिट्टी, ढुङ्गा प्रति ट्याक्टर | १००।- | |
| २१. | वालुवा प्रति टिपर/ट्रक | १००।- | |
| २२. | मिट्टी, ढुङ्गा प्रति टिपर/ट्रक | ३००।- | |
| २३. | साना उधोग सिफारिस | २००।- | |
| २४. | कृषि तथा पशु फर्म | २००।- | |
| २५. | टोल विकास संस्था सिफारिस | १००।- | |
| २६. | जल उपभोक्ता संस्था सिफारिस | २००।- | |
| २७. | संस्था दर्ता (NGO)गैर नाफामुलक सिफारिस | २००।- | |



| | | | |
|-----|---|----------|--|
| ३६. | संस्था दर्ता (INGO) गैर नाफामुलक सिफारिस | ५००।- | |
| ३७. | घर तला प्रमाणित | २००।- | |
| ३८. | फरक फरक नाम, थर शिफारिस/प्रमाणित | २००।- | |
| ३९. | फरक फरक जन्म मिति प्रमाणित/ शिफारिस | २००।- | |
| ४०. | चालचलन सम्बन्धि, तीनपुस्ते, सिफारिस (नेपाली) | २००।- | |
| ४१. | चालचलन सम्बन्धि तीनपुस्ते, सिफारिस (अङ्ग्रेजी) | ५००।- | |
| ४२. | कागज मञ्जुरीनामा प्रमाणित | २००।- | |
| ४३. | संरक्षक प्रमाणित | २००।- | |
| ४४. | वसाइसराई भै गाउँपालिका बाहिर जाने | २०००।- | |
| ४५. | वसाइसराई आउने | निःशुल्क | |
| ४६. | वैदेशिक रोजगार प्रमाणित सिफारिस अंग्रेजिमा प्रतिसिफारिस | ५००।- | |
| ४७. | वैदेशिक भुतपूर्व सैनिक/प्रहरीको हकमा नाम थर एउटै/ संशोधन प्रमाणित गर्ने सिफारिस (ब्रिटिश, सिंगापुर) | १५००।- | |
| ४८. | वैदेशिक भुतपूर्व सैनिकको हकमा नाम थर एउटै/ संशोधन प्रमाणित गर्ने सिफारिस (भारत) | १०००।- | |
| ४९. | पेन्सन पट्टा सम्बन्धि सिफारिस | | |
| | क) नेपालमा सेवारत | २००।- | |
| | ख) भारतमा सेवारत | ५००।- | |
| | ग) अन्य मुलुकमा सेवारत | १०००।- | |
| ५०. | नाता प्रमाणित सिफारिस (नेपाली) | २००।- | |
| ५१. | सर्जिमिन गर्नुपर्नेका हकमा नाता प्रमाणित | ५००।- | |
| ५२. | नाता प्रमाणित सिफारिस (अङ्ग्रेजी) | ५००।- | |
| ५३. | विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्रमाणित शिफारिस | निःशुल्क | |
| ५४. | छात्रवृत्ति प्रमाणित सिफारिस | २००।- | |
| | छात्रवृत्ति प्रमाणित सिफारिस (वैदेशिक) | ५००।- | |
| ५५. | अपांग प्रमाणित सिफारिस | निःशुल्क | |
| ५६. | जेष्ठ नागरिक, एकल महिला सिफारिस | निःशुल्क | |
| ५७. | नाबालक सम्बन्धी सिफारिस अंग्रेजिमा | ५००।- | |
| ५८. | नाबालक सम्बन्धी सिफारिस नेपालीमा | २००।- | |
| ५९. | आन्तरीक बसाई सराई सिफारिस | १००।- | |
| ६०. | निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | निःशुल्क | |



| | | | |
|-----|--|----------|--|
| ६१. | सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस | २००।- | |
| ६२. | अन्य कार्यालयको माग अनुसार विवरण खुलाई पठाउन पर्ने | २००।- | |
| ६३. | अन्य कार्यालयको माग अनुसार रोहबरमा बसी विवरण खुलाई पठाउन पर्नेमा | ५००।- | |
| ६४. | मोहि जग्गा वा अन्य नामसारी सिफारिस | २००।- | |
| ६५. | मोहि लगत कट्टा | २००।- | |
| ६६. | घर कायम सिफारिस (व्यापारिक प्रयोजन) | १०००।- | |
| ६७. | घर कायम सिफारिस (अन्य) | ५००।- | |
| ६८. | जग्गा दर्ता सिफारिस (निषेधित बाहेक प्रति रोपनी) | १०।- | |
| ६९. | कित्ताकाट सिफारिस(प्रति कित्ता) | २००।- | |
| ७०. | जग्गा नामसारी /किनबेच सिफारीस | २००।- | |
| ७१. | अंशवण्डा सिफारिस (प्रति अंश) | २००।- | |
| ७२. | जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस | २००।- | |
| ७३. | घर बाटो प्रमाणित, (मुल सडक अन्तर्गत) | ५००।- | |
| ७४. | घर बाटो प्रमाणित, (शाखा सडक अन्तर्गत.) | २००।- | |
| ७५. | चार किल्ला प्रमाणित | २००।- | |
| ७६. | हकदार भएको प्रमाणित सिफारिस | २००।- | |
| ७७. | बडा सर्जिमिन मुचुल्का | २०० | |
| ७८. | सामाजिक सुरक्षासम्बन्ध सिफारिस | निःशुल्क | |
| ७९. | हकदार नभएको प्रमाणित सिफारिस | २००।- | |
| ८०. | जग्गा रेखाङ्कन सम्बन्धी रोहबरमा बस्ने | २००।- | |
| ८१. | जग्गा धनीपुर्जा हराएको शिफारिस | निःशुल्क | |
| ८२. | पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस | २००।- | |
| ८३. | घर नक्शा | | |
| | क) घर नक्शा प्रतिलिपि १ सेट | १००।- | |
| | ख) घरनक्शा अन्य कागजात प्रति पाना नक्कल दस्तुर | १५।- | |
| | ग) सम्पन्न प्रमाणपत्र/ प्रतिलिपि (फोटो टाँसेको) | ५००।- | |
| | घ) घरनक्शा निवेदन फायल दस्तुर | १००।- | |
| | घर नक्शा पास दस्तुर | | |
| | क) १००० वर्ग फिट सम्म रड सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट | १।- | |
| | ख) १५०० वर्ग फिट सम्म रड सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट | १.५।- | |



| | | | |
|------|--|----------|--|
| | ग) २५०० वर्ग फिट सम्म रड सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट | २।- | |
| | घ) २५०१ भन्दा माथि रड सिमेन्ट जोडाई प्रति वर्ग फिट | २.५।- | |
| | ड) सिमेन्ट जोडाई कम्पाउड प्रति रनिंग फिट | ०.५।- | |
| | च) गिलेवा जोडाई प्रति वर्ग फिट | ०.५।- | |
| | छ) काठै काठको घर प्रति वर्ग फिट | ०.५।- | |
| | ज) टिनको छानो सिमेन्ट इटा जोडाई प्रति वर्ग फिट | ०.५।- | |
| | झ) फलामको खस्बाभई टिनको छानो (ट्रस्ट) बाट बनेको प्रति वर्ग फिट | १।- | |
| | ञ) घर अभिलेखिकरण प्रति वर्ग फिट | २।- | |
| ८४. | भवन निर्माण स्वीकृती व्यवसायीक प्रयोजनको लागि प्रति वर्ग फुट | ३।- | |
| ८५. | भवन निर्माण स्वीकृती आवाशीय प्रयोजनको लागि प्रति वर्ग फुट | १।- | |
| ८६. | भवनको निर्माण स्वीकृती मापदण्ड भित्र रहेता पनि नक्सा स्वीकृति नलिई निर्माण भै सकेको भवनको र जरिवाना गरी नक्सा स्वीकृत गर्नु परेमा प्रति वर्ग फुट | ३।- | |
| ८७. | भवन नक्सा नामसारी दस्तुर | १०००।- | |
| ८८. | भवन निर्माण अनुमति दस्तुर | १०००।- | |
| ८९. | भवन निर्माण नक्सा पास | ५०००।- | |
| ९०. | नक्सा पास निवेदन फारम दस्तुर | १००।- | |
| ९१. | नक्सा पास नक्कल दस्तुर | ५००।- | |
| ९२. | निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (व्यवसायीक) | २०००।- | |
| ९३. | निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र (आवासीय) | १०००।- | |
| ९४. | घरको स्थलगत सर्जिमिन र अमिन रेखाडकन | १००।- | |
| ९५. | घरको स्थलगत दस्तुर (प्राविधिक लेआउट) कच्ची | १००।- | |
| ९६. | घरको स्थलगत दस्तुर (प्राविधिक लेआउट) पक्की | ५००।- | |
| ९७. | घर नामसारी (प्रतिघर) | ५००।- | |
| ९८. | घरबाटो सिफारिस प्रतिलिपि | १००।- | |
| ९९. | घरको अवस्था प्रमाणित प्रति वर्ग फिट | २।- | |
| १००. | आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सिफारिश (बलियो) | १५००।- | |
| १०१. | आर्थिक अवस्था सम्बन्धी सिफारिश (कमजोर) | निःशुल्क | |
| १०२. | उल्लेखित बाहेक अन्य सिफारिस | २००।- | |
| १०३. | वार्षिक चल आय प्रमाणित सिफारिस (थप एकाईमा थप नहुने) १ देखि ५ लाख रुपैयाँ सम्म | २००।- | |



| | |
|---------------------------------|--------|
| ५लाख देखी १० लाख रुपैयाँ सम्म | ५००।- |
| १० देखी २० लाख रुपैयाँ सम्म | १५००।- |
| २० देखी ५० लाख रुपैयाँ सम्म | २०००।- |
| ५० लाख देखी १ करोड रुपैयाँ सम्म | ३०००।- |
| १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथी | ५०००।- |

वार्षिक अचल सम्पति मूल्याङ्कन सिफारस गर्दा घर जग्गा कर देहाय बमोजिम तोकिएको छः -

| क्र.स. | विवरण (प्रत्येक एकाईको एकमुष्टि, थप नलाग्ने) | आ.व. २०८०।०८। को |
|--------|--|-----------------------|
| १. | १ देखी ५ लाख रुपैयाँ सम्म | निःशुल्क |
| २. | ५लाख देखी १० लाख रुपैयाँ सम्म | ५००।- |
| ३. | १० देखी २० लाख रुपैयाँ सम्म | २०००।- |
| ४. | २० देखी ३० लाख रुपैयाँ सम्म | ३०००।- |
| ५. | ३० देखी ५० लाख रुपैयाँ सम्म | ४०००।- |
| ६. | ५० लाख देखी १ करोड रुपैयाँ सम्म | ५०००।- |
| ७. | १ करोड रुपैयाँ भन्दा माथी | ६०००।- |
| १०४. | बहाल कर लेखाजोखा सिफारिस | १००।- |
| १०५. | नागरिकता सिफारिस (वंशज) | ३००।- |
| १०६. | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | ५००।- |
| १०७. | वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | १०००।- |
| १०८. | नागरिकतामा विवरण संसोधन सिफारिस | ५००।- |
| १०९. | विद्युत जडान सिफारिस | २००।- विपन्न निःशुल्क |
| ११०. | धारा जडान सिफारिस - | २००।- विपन्न निःशुल्क |
| १११. | टेलिफोन जडान सिफारिस | ५००।- |
| ११२. | टेलिफोन जडान सिफारिस (नक्सा पास नभएको) | २००।- |
| | टेलिफोन नामसारी ठाउँसारी | २००।- |
| ११३. | उद्योग ठाउँसारी सिफारिस | ५००।- |
| ११४. | उद्योग स्थापना सिफारिस दस्तुर | |
| | ठूला उद्योग | १०००।- |
| | मझौला उद्योग | ५००।- |
| | साना उद्योग | १००।- |
| ११५. | प्यान दर्ता सिफारिस | २००।- |
| ११६. | भ्याट दर्ता सिफारिस | ५००।- |



| | | | |
|------|--|----------|--------------------------------|
| ११७. | प्यान बन्द सिफारिस | १००।- | |
| ११८. | भ्याट बन्द सिफारिस | १००।- | |
| ११९. | उपभोक्ता समिति दर्ता/नवीकरण सिफारिस १ वर्ष भन्दा बढी भएको | ५००।- | |
| १२०. | मिलापत्र कागज गराउने | ५००।- | पटकै पिच्छे थप १००।-हुने। |
| १२१. | कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दर्ता गर्नु परेमा दर्ता शुल्क | १००।- | उजुरी तथा मुद्दा गरी रु. ५५०।- |
| १२२. | न्यायीक समितिबाट आदेश/फैसला भएको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि | २००।- | |
| १२३. | गाँउपालिका पार्श्वचित्र (profile) | ५००।- | |
| १२४. | अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस | निःशुल्क | अख्तियारवालाले तोक्ने |
| १२५. | पारिवारिक लगत कार्ड (सरसफाई कार्डको दस्तुर नयाँ) | १००।- | |
| | पारिवारिक लगत कार्ड (सरसफाई कार्डको दस्तुर प्रतिलिपि | १००।- | |
| | पारिवारिक लगत कार्ड(सरसफाई कार्डको दस्तुर नवीकरण) | १००।- | |
| १२६. | हातहतियार नवीकरण/ सिफारिस (परम्परागत) | ५००।- | |
| १२७. | हातहतियार नवीकरण/ सिफारिस (आधुनिक) | १०००।- | |
| १२८. | अन्य प्रमाणित/सिफारिस (अंग्रेजी) माथी उल्लेख नभएको | ५००।- | |
| १२९. | अन्य प्रमाणित/सिफारिस नेपाली र अन्य माथी उल्लेख नभएको | २००।- | |
| १३०. | कृषि/पशु फर्म दर्ता सिफारिस | २००।- | |
| १३१. | कृषि/पशु फर्म नवीकरण सिफारिस | १००।- | |
| १३२. | IEE/EIA परिक्षण सिफारिस (कुल लागत अंकको भोल्युम हेरी) क) लागत रु १ लाख देखि २० लाख सम्मको | ५००।- | |
| | ख) लागत रु २० लाख देखि ३० लाख सम्मको | १०००।- | |
| | ग) लागत रु ३० लाख देखि ५० लाख सम्मको | ३०००।- | |
| | घ) लागत रु ५० लाख देखि ७० लाख सम्मको | ५०००।- | |
| | ड) लागत रु ७० लाख देखि १ करोड सम्मको | ८०००।- | |
| | च) लागत रु १ करोड देखि २ करोड सम्मको | १००००।- | |
| | छ) लागत रु २ करोड देखि माथि | १५०००।- | |
| १३३. | गाउँपालिकाको हल भाडा प्रतिदिन | १,०००।- | |
| १३४. | बडा कार्यालयको हल भाडा प्रतिदिन | १००।- | |
| १३५. | प्रोजेक्टर भाडा प्रतिदिन | १००।- | |
| १३६. | सडक बत्ति वार्षिक | १००।- | |
| १३७. | फोहर मैला व्यवस्थापन प्रतिघर/प्रतिपरिवार वार्षिक | २००।- | |



| | | | |
|------|---|--------|--|
| १३८. | सार्वजनिक शौचालय दोभान बजार र अन्य क्षेत्र प्रयोग शुल्क प्रति व्यक्ति / प्रति पटक | १०- | |
| १३९. | पौडी पोखरी डुङ्गा समेत प्रति व्यक्ति | २०।- | |
| १४०. | हाटबजार, मेला, खेलकुद सञ्चालन अनुमति | ५००।- | |
| १४१. | झोले/ पोके व्यवसायी पटके कर (दर्ता नभएका व्यवसायी) प्रति पटक | १००।- | |
| | प्रति पोका (गाउँपालिकामा दर्ता नभएका व्यवसायी) | १००।- | |
| | प्रति टिप्पर/ पिकअप/ ट्रियाक्टर | ५००।- | |
| | प्रति ट्रक | १०००।- | |

अनुसूची-६

(दफा ८ संग सम्बन्धित)

पर्यटन शुल्क

उद्यम, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा, संग्रहलय जस्ता सम्पादको उपयोग गरे वापत प्रति व्यक्ति रु. ५० र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० मा व्यस्था भए अनुसार लगाई दिने र अशुल उपर गरिने छ । जेष्ठनागरिक, वालवालिका अपांग र विपन्न हस्ताई निःशुल्क गरिने छ ।

अनुसूची -७

(दफा ९ संग सम्बन्धित)

जन्तेदुङ्गा गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका जग्गाहरूको भुमिकर मालपोत

मालपोत/भुमिकर

| क्र.सं. | प्रकार | दर | | कैफियत |
|---------|------------------|------------|-------|--------|
| | | कृषि लगायत | घडेरी | |
| १ | अब्बल-प्रतिरोपनी | १०।- | ५०।- | |
| २ | दोयम-प्रतिरोपनी | ९।- | ५०।- | |
| ३ | सीम-प्रतिरोपनी | ८।- | ५०।- | |
| ४ | चाहार-प्रतिरोपनी | ७।- | ५०।- | |

नोट:-

१. २०८० कार्तिक मसान्त सम्ममा मालपोत रकम तिर्ने लाई यस भन्दा अगाडिका सबै जरिवाना छुट हुनेछ ।

S.K.B.



२. २०८० कार्तिक मसान्त पछि, २ वर्ष भन्दा लामो समयसम्म कर नवुझाउनेलाई जम्मा करमा २५ प्रतिशत, पाच वर्ष भन्दा लामो समय कर नवुझाउनेलाई जम्मा करमा ३५ प्रतिशत, आठ वर्ष भन्दा लामो समय सम्म कर नवुझाउनेलाई जम्मा करमा ५० प्रतिशत थप जरिवाना समेत लाग्ने छ ।

अनुसूची-८

(दफा ११ संग सम्बन्धित)

| क्र.स. | प्रकार | दर रेट रु. | कैफियत |
|--------|--|--|--------|
| १ | जानि-जानि सार्वजनिक सडकलाई असर पुग्ने गरि सडकमा पानी कुलो लगाएमा । | पहिलो पटक -५००- दोस्रो पटक-३०००- तेश्रो पटक-१००००- | |
| २ | गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र भएका झै-झगडा, सामाजिक विवाद, द्रुन्द वापत लगाउने जरिवाना, शुल्क । | सम्बन्धित निकायले तोके बमोजिम हुनेछ । | |

१. लिनु पर्ने कर शुल्क आदि नलिएमा:-

आर्थिक ऐन र अन्य प्रचलित ऐन कानून अनुसार लिनु पर्ने रकम, तिर्नु पर्ने रकम नलिएमा, नतिरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थावाट तोकिएको रकमको थप १० प्रतिशतले हुने रकम बरावर असुल उपर गरि विभागिय कारबाहिकालागि सिफारिस समेत गरिने छ ।

२. व्यसाय नियमित नविकरण २०८० सालको असोज मसान्त भित्र गरिसक्नु पर्ने छ । पौष मसान्त सम्म नविकरण गर्ने लाई नविकरण रकमको ५ प्रतिशत जरिवान गरिने छ । चैत्र मसान्त सम्म नविकरण गर्नेलाई नविकरण रकमको १० प्रतिशत जरिवान गरिने छ र असार मसान्त सम्म नविकरण नगर्ने लाई नविकरण रकमको १५ प्रतिशत जरिवान गरिने छ । उक्त अवधि भित्र पनि नविकरण नगर्ने लाई असार मसान्त सम्मको नविकरण रकम र जरिवाना दुवैगरी कुल हुन आउने रकमको माथि उल्लेख भए बमोजिम जरिवाना गरिने छ ।

३. गाउँपालिकामा दर्ता नगरी संचालित व्यापार, व्यावसायीहरूले हाटबजार कर सरह दैनिक कर असुल गरिनेछ ।

विक्री कर: सामुदायिक वन पैदावर विक्री वापत जम्मा रकमको १० (दश) प्रतिशत ।

(नोट:- सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले वन पैदावर विक्री तथा उपभोग सम्बन्धि आफ्नो बार्षिक कार्य योजना बनाई जन्तेदुङ्गा गाउँपालिकाबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

खानेपानी

खानेपानी व्यवस्थापन संस्थाबाट खानेपानी महशुलबाट उठेको रकमको १० (दश) प्रतिशत

कृषि तर्फ

पशुजन्य निकासि कर यथावत राखिने छ ।

माथि जुन सुकै विवरण उल्लेख भएता पनि जन्तेदुङ्गा गाउँपालिका अन्तर्गतका कृषकहरूले उत्पादन गरेर विक्रि गर्न ल्याएका कृषि उपजहरूमा हाटकर लगाएत कुनै पनि विसिमका कर लिईने छैन ।